तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/6/19	राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018" प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 हेतु पेश किया गया। प्रकरण में विपक्षीगण को सूचना प्रेषित की गई। विपक्षीगण नं. 3 के अलावा अन्य विपक्षीगण उपस्थित आये हैं। इस प्रकरण में आवेदक की माता ने अपने बेटे के नाम से प्रकरण दर्ज कराया है। आवेदक का कथन है कि उसके पिता स्वर्गीय मनसुख के नाम से वर्ष 2039-42 में ग्राम पंचायत कुलदिया में 13 बीघा 20 बिस्वा 14 बिस्वांश भूमि पट्टा, राज दिया था। आवेदक द्वारा वे मृत्यु पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में रिकार्ड की। फसली वर्ष 2051-70 में खातेदारी खेतीयोग्य कास्त के खाता संख्या 187 रकबा 2.98 है. नाम से दिनांक 5.6 आवेदक द्वारा के नाम दर्ज किया है जबकि राजू के 2.14 है और ही अपने खाते के अलावा दर्ज खेतीयोग्य भूमि के नाम खाता नं. 563 रकबा 0.23 है 566 रकबा 0.14 व 570 रकबा 0.86 है कुल किया 3 रकबा 1.23 है दर्ज है। शेष 2.98 है राजू के दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
आमेरगढ़ (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

इस प्रकार राशि के कि0 0.8 है0 अधिक
रकबे की भूमि खसरा नम्बर 138 किता
4 रकबा 0.76 है0 विक्रीय भूमि के
अलावे शेष भूमि विक्रीय अभिलेख
दिखाते अधिक आवंटित किया गया है
जो प्रार्थी द्वारा इस्तगासा पत्र में वर्णित
तथ्य गलत प्रार्थी के पक्ष में होने
के कारण अपीलीय विक्रीय पत्र
इस्तगासा खारिज करते अपीलार्थी भूमि
प्रार्थी को वापस
किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में
विक्रीय लगाया गया है विपक्षी
निवेदन पर पक्षकारान को सुना गया
प्रार्थी ने पत्रावली पर इस तथ्य को
स्वीकार किया है कि उक्त भूमि
आ.नं. 586, 587, 1382, 1383 कुल
रकबा 0.76 है0 विक्रीय के बाद
शेष रकबे के इस्तगासा नहीं करते
उक्त पत्र वर्णन द्वारा स्पष्ट नहीं होता
कोमलजेन किया गया प्रार्थी के पास
0.84 है0 भूमि कम है इस प्रकार
इस्तगासा प्रार्थी के पक्ष में होने से
अपीलीय विक्रीय पत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
आसींद (भीलवाड़ा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	[illegible] अपूर्णांक खाते में दर्ज की होगी। [illegible] अर्जी के पक्ष में है। अतः अर्जी [illegible] 212(2-A) [illegible] [illegible] निषेधाज्ञा के पालन [illegible] [illegible] 586, 587, 1382, 1383 [illegible] रकबा 0.76 है। [illegible] [illegible] करे व न करावे। [illegible] [illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)